आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड

(आरईसी के पूर्ण स्वामित्व की एक अनुषंगी कंपनी)

कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स, 7 लोदी रोड़, नई दिल्ली-110003

दूरभाष: (011) 24365165

निविदा सं0: आरईसीपीडीसीएल/एलएएन/एनपी/**2010/1**

बोली दस्तावेज

निम्नलिखित हेतु

प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आर एफ पी)

आरईसीपीडीसीएल के कार्यालय, 10वाँ तल, देविका टावर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली में लोकल एरिया नेटवर्क तथा नेटवर्किंग उपकरणों और सर्वरों की आपूर्ति, संस्थापन, संरूपण, कमीशनिंग तथा उनके रखरखाव की एक वर्षीय ऑन-साइट विस्तृत वारंटी साथ रखरखाव के लिए निविदाओं को आमंत्रित करना।

(1) बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि : **04 मार्च 2010**
समय: 1100 बजे (भारतीय मानक समयानुसार)
(2) बोली (बिड) के खुलने की तिथि : **04 मार्च 2010**
समय: 1130 बजे (भारतीय मानक समयानुसार)

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड

कोर 4, स्कोप कांप्लेक्स, 7-लोदी रोड़, नई दिल्ली - 110003

महत्वपूर्ण सूचना:

1. अपूर्ण तथा/अथवा अस्पष्ट तथा/अथवा विलंब से प्राप्त बोली पर विचार नहीं किया जाएगा/उसे सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
2. बोलीदाता, प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आर एफ पी) की निबंधन एवं शर्तों को स्वीकार करने के रूप में मूल बोली दस्तावेज को मोहर सहित अनुप्रमाणित करे तथा उसे तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत करे। इसका पालन न किए जाने की स्थिति में बोली पर विचार नहीं किया जाएगा/उसे संक्षेपत: अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
3. बोलीदाता बोली दस्तावेज को आरईसीपीडीसीएल की वेबसाइट अर्थात् http://www.recindia.nic.in अथवा http://www.recindia.com से भी डाऊनलोड कर सकते हैं।

विषय-सूची

क्रम संख्या	अध्याय	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	अध्याय 1	प्रस्तावना	4
2	अध्याय 2	कार्य का क्षेत्र	7

3	अध्याय 3	बोलीदाताओं के लिए अनुदेश	9
4	अध्याय 4	संविदा की सामान्य शर्तें एवं निबंधन	18
5	**संलग्नक**		
	क	बोली प्रपत्र	28
	ख	मूल्य अनुसूची	31

अध्याय 1

परिचय

1.1 बोलियों के लिए आमंत्रण

आरईसीपीडीसीएल के कार्यालय, 10वाँ तल, देविका टावर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली में लोकल एरिया नेटवर्क तथा नेटवर्किंग उपकरणों एवं सर्वरों की आपूर्ति, संस्थापन, संरूपण, कमीशनिंग तथा उनके रखरखाव की एक वर्षीय ऑन-साइट विस्तृत वारंटी के लिए सीलबंद बोलियां, जिसमें आवेदन की जमा बयाना राशि (ईएमडी), 'पात्रता मानदंड' नामक दस्तावेज तथा विनिर्दिष्ट किए गए विस्तृत दस्तावेज समाविष्ट हों, आमंत्रित की जाती हैं।

1.2 बोलीदाता के मुख्य उत्तरदायित्वों में निम्नलिखित शामिल हैं:

क) नेटवर्किंग की पैसिव मूलवस्तुओं/वस्तुओं और सक्रिय वस्तुओं की आपूर्ति, संस्थापन तथा कमीशनिंग करना।

ख) केबलों के डालने सहित लैन (एल ए एन), चैनल आदि की स्थापना।

ग) अपेक्षित सहायक वस्तुओं आदि सहित स्विचों, रूटरों, रैक की आपूर्ति, संस्थापन और कमीशनिंग करना।

घ) संबंधित अनुषंगियों सहित सर्वरों की आपूर्ति, संस्थापन और कमीशनिंग करना।

च) आपूर्तित वस्तुओं की एक वर्षीय ऑन-साइट विस्तृत वारंटी सहित रखरखाव करना।

टिप्पणी: उपरोक्त खंड 1.2 में विनिर्दिष्ट मुख्य उत्तरदायित्व केवल निर्देशात्मक मात्र हैं, किसी भी रूप में संर्वागीण नहीं हैं।

1.3 बोली के साथ रूपये 5,000/- (मात्र पांच हजार रूपये) जमा बयाना राशि का डिमांड ड्रॉफ्ट/बैंकर चैक, जो नई दिल्ली में देय 'आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड' के पक्ष में तथा किसी अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक में देय हो, संलग्न किया जाए। जमा बयाना राशि के रूप में चैक, मनी आर्डर तथा नकद राशि स्वीकार नहीं की जाएगी। बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे जमा बयाना राशि के ड्रॉफ्ट/बैंकर चैक के पीछे निविदा संख्या, अपना नाम व पता इंगित कर दें अन्यथा संबंधित जोखिम बोलीदाता का होगा।

1.4 वित्तीय बोली तथा जमा बयाना राशि को अलग-अलग सीलबंद लिफाफों में भेजना चाहिए। सीलबंद लिफाफों के शीर्ष पर, उसकी अंतर्वस्तु, निविदा संख्या, बोलीदाता का नाम व पता स्पष्ट रूप से इंगित किया जाए। इस प्रकार तैयार किए गए सभी लिफाफों को एक सीलबंद लिफाफे में डाला जाए जिसके शीर्ष पर निविदा संख्या, बोलीदाता का नाम व पता स्पष्ट रूप से लिखा जाए।

1.5 सीईओ, आरईसीपीडीसीएल को संबोधित सभी प्रकार से पूर्ण बोली प्रस्तावों को 04 मार्च 2010 को 1100 बजे (भारतीय समयानुसार) तक निम्नलिखित पते पर आरईसापीडीसीएल के स्वागत कक्ष में रखे गए निविदा बॉक्स में डाल दिया जाए। बोली (बिड) को अन्यत्र जमा कराने तथा प्रेषिती को उचित समय व तारीख पर न प्राप्त होने पर, आरईसीपीडीसीएल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ।

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड

कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स,

7 लोदी रोड़,

नई दिल्ली-110003

1.7 उपरोक्त खंड 1.1 में विनिर्दिष्ट बोलियों को, आरईसीपीडीसीएल के कार्यालय, कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स, 7 लोदी रोड़, नई दिल्ली-110003 में उसी दिन (बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख

को) अर्थात् 04.03.2010 को 1130 बजे (भारतीय समयानुसार) बोलीदाताओं द्वारा चुने गये प्रतिनिधि की उपस्थिति में, खोला जाएगा।

1.8 आरईसीपीडीसीएल को बिना कोई कारण बताए अपने विवेकानुसार किसी अनियमितता को माफ करने, किसी अथवा सभी बोलियों को पूर्णतया स्वीकृत अथवा अस्वीकृत; आंशिक रूप से स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित है।

अध्याय 2

कार्य का क्षेत्र

2.1 कार्य-क्षेत्र

लोकल एरिया नेटवर्क तथा नेटवर्किंग उपकरणों और सर्वरों की आपूर्ति, संस्थापन, संरूपण कमीशनिंग तथा उनके रखरखाव की एक वर्षीय ऑन-साइट व्यापक वारंटी का कार्य-क्षेत्र विस्तृत रूप से निम्नवत है:

सारणी-।

क्रम सं0	कार्य का क्षेत्र - विवरण
1.0	नेटवर्किंग प्रेषित मूल वस्तुओं/वस्तुओं और सक्रिय वस्तुओं की आपूर्ति, संस्थापन तथा कमीशनिंग करना।
2.0	केबलों के डालने सहित लैन (एल ए एन), चैनल आदि की स्थापना।
3.0	अपेक्षित सहायक वस्तुओं आदि सहित स्विचों, रूटरों, रैक की आपूर्ति, संस्थापन और कमीशनिंग करना।
4.0	संबंधित अनुषंगियों सहित सर्वरों की आपूर्ति, संस्थापन और कमीशनिंग करना।
5.0	आपूर्तित वस्तुओं की एक वर्षीय ऑन-साइट विस्तृत वारंटी सहित रखरखाव करना।

टिप्पणी:

क. उपरोक्त विनिर्दिष्ट कार्य-क्षेत्र केवल निर्देशात्मक मात्र हैं, किसी भी रूप में संर्वागीण नहीं हैं।

2.2 निर्देशात्मक अनुसूचियां

बोलीदाता को नीचे दी गई निर्धारित समय अनुसूची के अनुसार काम करते रहना अपेक्षित है।

सारणी-।। : मुख्य गतिविधियां

क्रमांक	विवरण	वितरणीय **(वृद्धिशील सप्ताह)**
1.	क्रय आदेश का दिया जाना	टी 1
2.	लैन,रूटरों,स्विचों,रैक,सर्वरों आदि की आपूर्ति, संस्थापन और कमीशनिंग	टी 1+2 (सप्ताह)
3.	आपूर्तित वस्तुओं की ऑन-साइट विस्तृत वारंटी सहित रखरखाव	सफलतापूर्वक स्वीकार किए जाने की तारीख से एक वर्ष

अध्याय 3

बोलीदाताओं के लिए अनुदेश

3.1 बोली की लागत

बोलीदाता, बोली को तैयार करने तथा उसे प्रस्तुत करने संबंधी सभी खर्चों को वहन करेगा तथा आरईसीपीसीडीएल, बोली प्रक्रिया को संचालित करने अथवा उसके परिणाम पर ध्यान दिए बिना, किसी भी स्थिति में इन खर्चों के लिए उत्तरदायी अथवा जिम्मेवार नहीं होगा।

3.2 निविदा दस्तावेज

बोलीकर्ता से अपेक्षा की जाती है तथा यह समझा जाता है कि वह बोली लगाने के दौरान निविदा दस्तावेज के सभी अनुदेशों, प्रपत्रों, शर्तों तथा विनिर्देशनों इत्यादि को ध्यान से पढ़ व जांच ले, उनका अनुपालन करे व उनसे सहमत हो। अपेक्षित सभी सूचनाओं को न देने तथा/अथवा झूठी/गलत सूचना तथा/अथवा संदिग्ध/असंगत सूचना तथा/अथवा बोली के लिए अनुकूल महत्वपूर्ण प्रभावनीय दस्तावेज के बिना बोली को प्रस्तुत करना बोलीदाता का अपना जोखिम होगा तथा परिणामत: उसकी बोली अस्वीकृत हो जाएगी।

3.3 बोलियों की तैयारी

3.3.1 बोलियों को सीलबंद लिफाफों में, जैसा कि अध्याय-1 में बताए गए तरीके से प्रस्तुत किया जाए।

3.3.2 सीलबंद लिफाफों पर लिफाफे की अंतर्वस्तु, निविदा संख्या, बोलीदाता का नाम तथा पता स्पष्ट रूप से अंकित किया जाए।

3.3.3 प्रस्तुत की जा रही बोली के सभी पृष्ठों पर, फॉर्मेट की अंतर्वस्तु की प्रकृति पर ध्यान दिए बिना: 'चालू पृष्ठ सं0/पृष्ठों की कुल संख्या', बोलीदाता के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा (सभी शर्तो एवं निबंधन की स्वीकृति को इंगित करते हुए) हस्ताक्षर किए जाएं तथा क्रमागत संख्या अंकित की जाए। हस्ताक्षर एवं मोहर के बिना बोली को संक्षेपत: अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

3.3.4 बोली को उपयुक्त रूप से अनुक्रमणिका युक्त तथा एक जिल्द में उचित रूप से बंधा होना चाहिए, उसमें पेपर बिखरे हुए न हों, ऐसा न होने की स्थिति में बोली को सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

3.3.5 सभी बाहरी तथा भीतरी लिफाफों पर बोलीदाता का नाम व पता इंगित किया जाए, ताकि बोली में देर अथवा विलंब होने की स्थिति में उसे बिना खोले लौटाया जा सके।

3.4 टेलेक्स, तार, ई-मेल, अनुलिपि अथवा बिना सीलबंद इत्यादि के बोलियों को पूर्णतः अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

3.5 **जमा बयाना राशि (ई एम डी)**

क. बोली के साथ डिमांड ड्रॉफ्ट/बैंकर चैक के रूप में रपए 5,000/-(मात्र पांच हजार रूपये) की जमा बयाना राशि, जो नई दिल्ली में 'रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड' के पक्ष में देय किसी अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक पर आहरित हो, संलग्न होनी चाहिए। जमा बयाना राशि के रूप में चैकों, मनी आर्डरों तथा नकद धनराशि इत्यादि को स्वीकार नहीं किया जाएगा। बोलीदाता से अनुरोध है कि वह जमा बयाना राशि के ड्रॉफ्ट/बैंकर चैक के पीछे निविदा संख्या, तथा बोलीदाता का नाम व पता लिखना सुनिश्चित कर लें अन्यथा संबंधित जोखिम बोलीदाता का होगा। वैध जमा बयाना राशि के बिना बोली को एकदम अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

ख. सफल बोलीदाता के साथ संविदा पर हस्ताक्षर होने के उपरांत, असफल बोलीदाताओं की जमा बयाना राशि वापस कर दी जाएगी। सफल बोलीदाता की जमा बयाना राशि को, वैध निष्पादन बैंक गारंटी प्राप्त होने पर, वापस कर दिया जाएगा।

ग. जमा बयाना राशि पर आरईसीपीडीसीएल कोई ब्याज नहीं देगा।

घ. यदि कोई बोलीदाता बोली वैधता अवधि, बोलीदाता द्वारा बोली में विनिर्दिष्ट, के दौरान अपनी बोली वापस लेता है तथा/अथवा बोली में झूठे दस्तावेज/वचनबद्धता प्रस्तुत करता है तो जमा बयाना राशि (ई एम डी) जब्त कर ली जाएगी।

3.6 **वित्तीय बोली:**

क. आरईसीपीडीसीएल केवल उन बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियों को खोलेगा और मूल्यांकन करेगा जिनकी जमा बयाना राशि नियमानुसार पायी जाएगी। वित्तीय बोलियों को, खोला और मूल्यांकित किया जाएगा भले ही प्राप्त बोलियों की संख्या कुछ भी हो।

ख. बोलियां, उनके खुलने की तारीख से, 90 दिनों की एक अवधि के लिए वैध होनी चाहिए बशर्ते कि बोली के खुलने की तारीख से 83 दिनों के उपरांत बोली को वैध समझा जाए, जब तक कि बोलीदाता को अपनी बोली वापस लेने के लिए न्यूनतम सात कार्य दिवस (आरईसी/भारत सरकार द्वारा अधिसूचित सरकारी कैलेंडर के अनुसार) पूर्व पंजीकृत डाक द्वारा लिखित में नोटिस न दे तथा यदि नोटिस अवधि के दौरान निविदा निर्णीत/सुनिश्चित कर ली गई है तो बोलीदाता को इच्छुक पार्टी समझा जाएगा तथा चूक करने की स्थिति में जमा बयाना राशि (ईएमडी) जब्त कर ली जाएगी तथा बोलीदाता को, निविदा में तथा/अथवा आरईसापीडीसीएल के विवेकानुसार निर्धारित अवधि के लिए आरईसापीडीसीएल की सभी निविदाओं के लिए, काली सूची में डाला जाएगा।

ग. चयनित विक्रेता (ओं) को, नामिकायन (एंपैनलमेंट) के प्रस्ताव की स्वीकृति तथा बोलीकर्ता द्वारा एंपैनलमेंट/संविदा अनुबंध पर हस्ताक्षर करने तथा/अथवा प्रारंभिक क्रय आदेश देने की तारीख से, जो भी पहले हो, 12(बारह) महीनों की अवधि के लिए आरईसीपीडीसीएल के

साथ नाम सूची में दर्ज किया जाएगा, इस अवधि को आगे अधिकतम एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

घ. कार्य का निष्पादन, आरईसीपीडीसीएल के विवेकानुसार/निदेशानुसार भारत में कहीं भी वांछित गंतव्यों/स्थानों पर किया जाएगा।

3.8 बोलियों को प्रस्तुत करने की समय सीमा

क. बोलियां आवरण पृष्ठ पर विनिर्दिष्ट दिनांक व समय तक अध्याय-I में दिए गए आरईसीपीडीसीएल के पते पर पहुंच जानी चाहिए। बोलियों के प्रस्तुत करने की निर्दिष्ट तारीख को, आरईसीपीडीसीएल के लिए अवकाश घोषित होने की स्थिति में बोलियां अगले कार्य दिवस को नियत समय तक प्राप्त की जाएंगी।

ख. आरईसीपीडीएल अपने विवेकानुसार बोलियों के प्रस्तुत करने की समय सीमा को, निविदा संशोधन के द्वारा, बढ़ा सकता है, इस स्थिति में पूर्व समय सीमा के अनुसार तय आरईसीपीडीसीएल तथा बोलीदाताओं के सभी अधिकार एवं बाध्यताएं, विस्तारित की गई समय सीमा के अनुरूप हो जाएंगी।

ग. बोलियों के प्रस्तुत करने की समय सीमा से पूर्व किसी भी समय निविदा दस्तावेज के संशोधन आरईसीपीडीसीएल द्वारा जारी किए जा सकते हैं।

घ. निविदा दस्तावेज के संशोधनों को जारी करने की तारीख से, उन्हें निविदा दस्तावेज के एकीकृत अंश के रूप में माना जाएगा।

3.8 विलंबित तथा देर से प्राप्त बोलियां

आरईसीपीडीसीएल द्वारा निर्धारित बोलियों को प्रस्तुत करने की समय सीमा के उपरांत प्राप्त बोली को अस्वीकृत कर दिया जाएगा तथा/अथवा बिना खोले बोलीदाता को वापस कर दिया जाएगा।

3.10 बोली का खुलना तथा मूल्यांकन

आरईसीपीडीसीएल, बोलियों को **अध्याय-I** में निर्दिष्ट समय, दिनांक तथा स्थान पर, बोलीदाताओं द्वारा चुने गये प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोलेगा। वहां पर उपस्थित बोलीदाताओं के प्रतिनिधि अपनी उपस्थिति के साक्ष्य के रूप में, रजिस्टर पर हस्ताक्षर करेंगे। बोली खुलने की निर्धारित तारीख को आरईसीपीडीसीएल के लिए अवकाश घोषित होने की स्थिति में, बोलियों को अगले कार्य दिवस को नियत समय व स्थान पर खोला जाएगा।

3.11 बोलियों को खुलना एंव मूल्यांकन

आरईसीपीडीसीएल जमा बयाना राशि के लिफाफे को खोलेगा, केवल उन्हीं बोलीदाताओं की वित्तीय बोली को खोला और मूल्यांकित किया जाएगा, जिनकी जमा बयाना राशि सही पायी जाएगी।

3.12 बोलियों का स्पष्टीकरण

क. बोलियों के मूल्यांकन के दौरान, आरईसीपीडीसीएल अपने विवेक से बोलीदाता को उसकी बोली का स्पष्टीकरण देने के लिए कह सकता है तथा बोलीदाता को उसे आरईसीएल द्वारा निर्धारित न्यूनतम एक दिन की अवधि के अंतर्गत बताना होगा तथा चूक की स्थिति में यह माना जाएगा कि बोलीदाता के पास प्रस्तुत करने के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं है तथा तदनुसार बोली को मूल्यांकित किया जाएगा तथा/अथवा बोली को अस्वीकृत किया जाएगा। स्पष्टीकरण के लिए अनुरोध व प्रत्युत्तर लिखित में होगा तथा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने की तारीख, बोली के मूल्य अथवा सार में परिवर्तन, प्रस्तावित अथवा मंजूर नहीं होगा।

ख. कोई बोलीदाता, बोली खुलने की तारीख से संविदा दिए जाने तक, अपनी बोली के संबंध में आरईसीपीडीसीएल से संपर्क नहीं करेगा। यदि बोलीदाता आरईसीपीडीसीएल को अतिरिक्त जानकारी देना चाहता है तो उसे लिखित में देना होगा।

ग. बोली मूल्यांकन, बोली की तुलना अथवा संविदा देने के निर्णयों के संबंध में आरईसीपीडीसीएल पर बोलीदाता द्वारा प्रभाव डालने का कोई प्रयास बोलीदाता की बोली को अस्वीकृत किए जाने का कारण होगा तथा आरईसीपीडीसीएल द्वारा फर्म को, आरईसीपीडीसीएल के भावी प्रस्ताव हेतु अनुरोधों/निविदाओं में भागीदारी करने के लिए एक निर्धारित अवधि तक अथवा अनिश्चित काल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

घ. आरईसीपीडीसीएल के पास, वित्तीय बोलियों के खुलने से पूर्व, किसी बोली की स्वीकृति से पहले निविदा के विषय-क्षेत्र तथा/अथवा विनिर्देशनों में बदलाव अथवा परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है। तथापि, ऐसी संभावना की स्थिति में सभी योग्य/पूर्व-अर्हक बोलीकर्ता(ओं) को उनके विवेकानुसार उनकी वित्तीय बोली में तदनुसार बदलाव तथा परिवर्तन, यदि आवश्यक हो तो, करने का एक अवसर दिया जाएगा। प्रस्तावित विनिर्देशनों के निविदा में वर्णित विनिर्देशनों से विसामान्य होने के मामले में, बोलीदाता को सुस्पष्ट करना चाहिए कि उसने प्रस्तावित वस्तु को किस संबंध में तथा किस सीमा तक हमारे विनिर्देशनों, यहां तक कि विसामान्यता अधिक सारवान नहीं है, से भिन्न किया है ।

3.13 बोलियों का मूल्यांकन और तुलना

क. आरईसीपीडीसीएल बोली दस्तावेजों की तुलना में प्रत्येक बोली की पर्याप्त अनुक्रियाशीलता को निर्धारित करेगा। इन खंडों के उद्देश्य के लिए एक पर्याप्त अनुक्रियाशील बोली वह है, जो बिना किसी महत्वपूर्ण विचलन के, बोली दस्तावेजों के सभी विनिर्देशनों तथा निबंधन एवं शर्तों के अनुकूल हो।

ख. अपर्याप्त प्रभावनीय निर्धारित बोली को आरईसीपीडीसीएल द्वारा अस्वीकृत किया जाएगा तथा उसे बाद में बोलीदाता द्वारा अनुकूल बनाकर अनुक्रियाशील नहीं बनाया जाएगा।

ग. वस्तुओं के सर्वसमावेशी मूल्य की तुलना की जाएगी। ऐसे मूल्य में भुगतान अथवा देय शुल्क और कर सहित सभी लागतें शामिल होंगी।

घ. अंकगणितीय त्रुटियों को निम्नलिखित आधार पर दूर किया जाएगा: यदि यूनिट मूल्य तथा कुल मूल्य के बीच कोई विसंगति है, जोकि यूनिट मूल्य तथा प्रमात्रा के गुणन करने के फलस्वरूप प्राप्त हुई है, तो यूनिट मूल्य वही रहेगा तथा कुल मूल्य को ठीक कर दिया जाएगा। यदि पूर्तिकार त्रुटियों के सुधार को स्वीकार नहीं करता है तो, उसकी बोली अस्वीकृत कर दी जाएगी। यदि विसंगति शब्दों तथा अंकों के मध्य हुई है तो, दोनों में से उच्च दर को बोली के मूल्य के रूप में लिया जाएगा। किंतु बोलीदाता के न्यूनतम बोलीदाता होने की स्थिति में न्यूनतम बोलीदाता का परिकलन करने के उद्देश्य के लिए, दोनों में से

न्यूनतम को, क्रय आदेश जारी करने के समय वस्तुओं के लिए, अंतिम मूल्य के रूप में विचारा जाएगा।

च. बोलीकर्ता को केवल निविदा अध्याय-4: खंड 4.2 में दी गई भुगतान अनुसूची की रूपरेखा तथा **संलग्नक-घ 'मूल्य अनुसूची' में दिए गए फॉर्मेट के अनुसार**, अपनी बोली मूल्य को बताना चाहिए तथा संलग्नक-घ 'मूल्य अनुसूची' में दिए गए संशोधनों/अनुशेषों/आशोधनों के मामले में बोली पूर्णतया तथा संक्षेपत: अस्वीकृत कर दी जाएगी।

छ. **बोलियों को, (सारणी-।) क्रम सं0.21 के लिए न्यूनतम भाव दर (एल क्यू 1) अर्थात् विनिर्दिष्ट विधि के अनुसार समग्र योग के आधार पर मूल्यांकित किया जाएगा। आरईसीपीडीसीएल यूनिट मूल्यों और विनिर्दिष्ट विधि, यदि कोई हो तो, के आधार पर समग्र योग का परिकलन करेगी तथा तदनुसार एलक्यू-1 बोलीदाता तय किया जाएगा।**

ज. आरईसीपीडीसीएल के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह सीमित/एकल भाव-दर के आधार पर सूचीबद्ध विक्रेताओं से तथा/अथवा अपने विवेकानुसार अन्य स्रोतों से समरूपी तथा/अथवा अन्य किसी अतिरिक्त सेवाओं का प्रापण कर सकता है।

झ. विक्रेता किसी अन्य एजेंसी को किसी भी रूप में एंपैनलमेंट अथवा उसके किसी अंश को समनुदेशित तथा/अथवा उप पट्टे पर नहीं देगा। ऐसा करने पर उसका एंपैनलमेंट समाप्त कर दिया जाएगा तथा जमा बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी।

ट. इन निबंधन एवं शर्तों में किसी परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इनका उल्लंघन होने पर बोली अस्वीकृत हो जाएगी तथा जमा बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी।

3.14 बोलियों की भाषा

क. सभी बोलियां तथा सहायक दस्तावेज अंग्रेजी में प्रस्तुत किए जाएं, वे सुस्पष्ट हों, तथा अनाप-शनाप और अस्पष्ट शब्दों अथवा वाक्यांशों, जिनमें व्याख्या अपेक्षित है, से मुक्त हों। 'उपलब्धता के अध्यधीन', 'स्वीकृति के अध्यधीन ' 'बाद में उपलब्ध कराया जाएगा' आदि जैसी अभिव्यक्तियों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

ख. बोलीदाता को कि निविदा प्रस्ताव में शोधन/विलोपन न हों, ध्यान देना चाहिए। निविदा में किए गए शोधनों/विलोपनों, यदि कोई हो तो, पर निविदाकर्ता फर्म के हस्ताक्षर अथवा कार्यालय मोहर से प्रामाणिक किया जाए।

ग. अपूर्ण निविदाओं, निविदा खुलने के उपरांत प्राप्त उसके संशोधनों और परिवर्तनों तथा/अथवा देरी से प्रस्तुत निविदाओं को अस्वीकृत किया जा सकता है।

घ. बोलीदाता की मुद्रित निबंधन एवं शर्तें, यदि कोई हों, को निविदा के अंश के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। अनुबंधित शर्त एवं निबंधन के अस्वीकार्य होने की स्थिति में, बोलीकर्ता को अपने प्रस्ताव में विचलन को स्पष्ट रूप से बताना होगा। इसी प्रकार, यदि आरईसीपीडीसीएल द्वारा निर्धारित अनुसूची/प्रोफार्मा में कोई आशोधन करना आवश्यक है, तो बोलीदाता अलग कागज पर उसे संप्रेषित करेगा तथा उसे निविदा के साथ संलग्न करेगा।

3.15 प्रतिभूति जमा

क. सफल बोलीदाताओं की जमा बयाना राशि को,एंपैनलमेंट के प्रयोजन के लिए प्रतिभूति जमा में परिवर्तित कर दिया जाएगा। असफल बोलीदाताओं की जमा बयाना राशि को यथासमय वापस कर दिया जाएगा।

ख. प्रतिभूति जमा को, संविदा के तहत विक्रेता के दायित्वों का उचित रूप से संतोषजनक निष्पादन करने के साथ, संविदा पूर्ण होने के उपरांत आरईसीपीडीसीएल द्वारा चुका दिया जाएगा/वापस कर दिया जाएगा।

ग. उक्त अपेक्षा का अनुपालन न करने अथवा 30 दिनें के अंतर्गत अथवा अन्य ऐसी विस्तारित अवधि, जैसा सीईओ, रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, स्कोप कांपलेक्स, 7-लोदी रोड़, नई दिल्ली - 110003 द्वारा निर्धारित की जाएगी,के अंतर्गत संविदा करने में बोलीदाता का विफल होना, अन्यों के बीच, यदि कोई है तो, निविदा के अभिशून्यन के लिए पर्याप्त आधारों को संस्थापित करता है।

घ. एंपैनलमेंट अवधि के दौरान किसी भी कारण से विक्रेता का सेवाओं के उपलब्ध न करा पाने की स्थिति में, प्रतिभूति जमा को आरईसीपीडीसीएल द्वारा जब्त कर लिया जाएगा।

च. प्रतिभूति जमा के लिए कोई बैंक शुल्क/ब्याज देय नहीं होगा।

छ. आरईसीपीडीसीएल को, अनवधानता, त्रुटि, दुरभिसंधि, मिथ्याग्रहण, अपकथन के कारण बोलीदाता के बिलों से, प्रतिभूति जमा से, अथवा बोलीदाता को देय अन्य धनराशि, उसको किए गए किसी भुगतान का समकक्ष मूल्य, से भी वसूली करने का अधिकार है।

अध्याय 4

संविदा के सामान्य निबंधन और शर्तें

4.1 कार्य-क्षेत्र

इस संविदा के कार्य क्षेत्र में उपकरणों की आपूर्ति तथा अध्याय 2 में दी गई सभी सेवाएं शामिल हैं।

4.2 भुगतान की शर्तें

क. कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।

ख. भुगतान किसी भी राशि, जिसके लिए विक्रेता इस संविदा के समक्ष अनुबंध के तहत उत्तरदायी है, की कटौती के आधार पर दिया जाएगा। साथ ही, सभी भुगतान, विद्यमान आयकर अधिनियम के अनुसार टी डी एस (स्रोत पर काटा गया कर) तथा बीजक जमा की तारीख तथा/अथवा भुगतान तारीख, जो भी अधिक हो, को अन्य करों की कटौती के आधार पर दिए जाएंगे।

ग. सभी भुगतान भारतीय रूपयों में किए जाएंगे।

घ. भुगतान, प्राधिकृत आरईसीपीडीसीएल अधिकारी द्वारा वास्तविक कार्य को विधिवत प्रमाणित करने के उपरांत **यथानुपात आधार** पर किया जाएगा।

च. 90 प्रतिशत राशि का भुगतान, क्रय आदेश में उल्लिखित गंतव्य/स्थान पर सफलतापूर्वक सुपुर्दगी, संस्थापन, कमीशनिंग और स्वीकार करने पर, प्रयोक्ता तथा/अथवा आरईसीपीडीसीएल के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित करने के उपरांत किया जाएगा।

छ. शेष 10 प्रतिशत राशि का भुगतान, क्रयादेश के 10% मूल्य के समान बैंक गारंटी, जोकि रखरखाव की ऑन-साइट वारंटी की तिथि से 15 महीनों की अवधि के लिए अथवा रखरखाव की ऑन-साइट वारंटी अवधि के सफलतापूर्वक पूर्ण होने तक वैध हो, के प्रस्तुत करने पर की जाएगी।

ज. भुगतान के लिए विक्रेता को, सुपुर्दगी के सभी संबंधित साक्ष्य, जिन पर आरईसीपीडीसीएल के विभिन्न कार्यालयों में संबंधित अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए गए हों, तथा बैंक गारंटी इत्यादि, यदि कोई हो तो, विक्रेता द्वारा प्रस्तुत की जाएगी।

4.3 विलंब के लिए परिनिर्धारित नुकसानी

क. संविदा का मूलसार समय है। सफल बोलीदाता, अनुसूची में निर्धारित सभी सेवाओं तथा/अथवा वस्तुओं की मांग किए जाने तथा/अथवा कार्य आदेश दिए जाने पर, सुपुर्दगी करेगा। अनुबंधित तारीख को/से पूर्व सभी अथवा कुछ कार्य न करने/वस्तुओं की आपूर्ति न करने की स्थिति में, प्रति सप्ताह संविदाकृत पैकेज कीमत का 5 प्रतिशत के समान मूल्य अथवा उसके किसी अंश की पेनल्टी, जो अधिकतम कुल संविदा मूल्य का 10 प्रतिशत होगी,

अधिरोपित की जाएगी। परिनिर्धारित नुकसानी की अदायगी सफल बोलीदाताओं के दायित्वों को प्रभावित नहीं करेगी।

ख. अनुबंधित समयावधि के 10 दिन परे आदेश के अनुपालन में विलंब होने की स्थिति में, आरईसीपीडीसीएल को आदेश रद्द करने तथा जमा बयाना राशि इत्यादि गारंटी को जब्त करने का अधिकार होगा।

ग. इसके अतिरिक्त बोलीदाता, उक्त पेनल्टी के अलावा अनापूर्तित वस्तुओं के मूल्य का 2 प्रतिशत निरस्तीकरण प्रभार भी आरईसीपीडीसीएल को अदा करने का उत्तरदायी होगा। निरस्तीकरण प्रभार अदा न करने की स्थिति में आरईसीपीडीसीएल को बोलीदाता की प्रतिभूति जमा, यदि आरईसीपीडीसीएल के पास पहले से कोई उपलब्ध है तो, से उक्त शुल्क को वसूल करने का अधिकार है। ऐसी परिस्थिति में, आरईसीपीडीसीएल को चूककर्ता विक्रेता के जोखिम और खर्च पर वैकल्पिक स्रोतों के द्वारा अपूर्ण आदेशों के निष्पादन को पूर्ण कराना होगा।

4.4 संविदा की समाप्ति

क. यदि बोलीदाता संविदा के अनुसार सेवाएं उपलब्ध कराने में असमर्थ है तो, आरईसीपीडीसीएल किसी भी समय संविदा को समाप्त कर सकता है। ऐसे मामलों में, बोलीदाता द्वारा निष्पादित कार्य के लिए यदि कोई धनराशि देय है तो, उसका भुगतान, संविदा के उपबंधों के अनुसार समुचित वसूलियों को करने के उपरांत तथा बोलीदाता के जोखिम और खर्च पर कार्य को पूर्ण करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था होने के उपरांत, किया जाएगा। चयनित बोलीदाता सेवा छोड़ने से पूर्व न्यूनतम तीन माह का नोटिस देगा।

ख. यदि चयनित विक्रेता दिवालिया हो जाता है तो, आरईसीपीडीसीएल उसे बिना किसी क्षतिपूर्ति के, लिखित रूप से नोटिस देकर संविदा को किसी भी समय समाप्त कर सकता है, बशर्ते कि ऐसा समापन कोई प्रतिकूल प्रभाव न डाले अथवा किसी कार्रवाई अथवा उपायात्मक अधिकार, जो आरईसीपीडीसीएल को कभी भी प्रोद्भूत हो अथवा होने वाला हो, को प्रभावित न करता हो।

ग. आरईसीपीडीसीएल चयनित विक्रेता को लिखित नोटिस देने के द्वारा अपनी सुविधानुसार, क्रय आदेश तथा/अथवा संविदा तथा/अथवा एंपैनलमेंट को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से किसी भी समय समाप्त कर सकता है। समापन के नोटिस में आरईसीपीडीसीएल की सुविधा, कार्य निष्पादन की किस सीमा के तहत क्रय आदेश तथा/अथवा संविदा को समाप्त किया गया है, तथा ऐसा समापन किस तारीख से प्रभावी होगा, को स्पष्ट रूप से बताया जाए। आरईसीपीडीसीएल को निम्नुसार चयन करने का अधिकार सुरक्षित है:

i क्रय आदेश तथा/अथवा संविदा अवधि तथा मूल्य के किसी अंश को पूर्ण कराने; तथा अथवा

ii शेष को रद्द करने तथा चयनित विक्रेता को आंशिक रूप से संपादित सेवाओं के लिए सहमत की गई राशि के भुगतान करने का अधिकार है।

घ. विक्रेता की कंपनी अथवा कंपनी के संबंधित प्रभाग को किसी अन्य कंपनी द्वारा अधिकार में लेने/खरीदने की स्थिति में, उनके स्थानांतरण के समझौते की बातचीत अनुसार, आरईसीपीडीसीएल के साथ अनुबंधित सभी बाध्यताओं, को नई कंपनी व नये प्रभाग को अनुपालन के लिए पारित कर दी जाएं।

च. आरईसीपीडीसीएल अपने विवेकानुसार आपूर्ति, कमीशनिंग तथा/अथवा उपकरणों/उत्पादों के रखरखाव में अनियमित विलंब के लिए एंपैनलमेंट को समाप्त कर सकता है।

4.5 शासी विधि और विवाद

क. बोलियां तथा उसके फलस्वरूप संविदा को भारत के कानून के अनुसार शासित तथा अर्थ ग्रहण किया जाएगा।

ख. इस निविदा दस्तावेज के निर्माण, तात्पर्य तथा ऑपरेशन अथवा प्रभाव तथा उनके खंडन से संबंधित पार्टियों (अर्थात् आरईसीपीडीसीएल तथा बोलीदाता) के बीच उठने वाले सभी विवादों अथवा मतभेदों का निवारण सौहार्दपूर्ण तरीके से किया जाएगा। तथापि, यदि उपरोक्त अनुसार पार्टियां उन्हें सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाने में असमर्थ हैं तो उसका निपटान माध्यस्थम् तथा सुलह अधिनियम, 1946 के अनुसार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आरईसी द्वारा नियुक्त एकमात्र विवाचक द्वारा किया जाएगा। विवाचक एक तर्कयुक्त तथा व्याख्यानपूर्ण अधिनिर्णय देगा। इसके परिणामस्वरूप किया गया निर्णय उपरोक्त पार्टियों पर बाध्य होगा। विवाचक की फ़ीस तथा अन्य शुल्क को पार्टियों द्वारा समान रूप से वहन किए जाएंगे।

ग. माध्यस्थम् की कार्यवाही के दौरान सफल बोलीदाता संविदा के अंतर्गत कार्य करते रहेंगे बशर्ते कि उन्हें आरईसीपीडीसीएल द्वारा लिखित में अन्य प्रकार से निर्देशित न किया गया हो।

घ. माध्यस्थम् का स्थान नई दिल्ली होगा तथा उसे माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1946 तथा उसके समय-समय पर जारी संशोधनों द्वारा शासित किया जाएगा।

4.6 सुपुर्दगी

क. सुरक्षित सुपुर्दगी के सभी पहलुओं का उत्तरदायित्व अनन्य रूप से विक्रेता का होगा।

ख. साईट तैयार नहीं(एसएनआर) के मामलों में, विक्रेता को एक अनुरोध पत्र विचार हेतु आरईसीपीडीसीएल को प्रस्तुत करना होगा तथा गुण-योग्यता के आधार पर आरईसीपीडीसीएल 'साईट तैयार नहीं ' का प्रमाण-पत्र जारी करेगा।

4.7 **Øßæ¾** अथवा कपटपूर्ण व्यवहार

क. बोलीकर्ता तथा विक्रेता संविदा के निष्पादन तथा प्रापण के दौरान उच्च स्तर के नैतिक मानकों का पालन करेंगे।

ख. आरईसीपीडीसीएल संविदा प्रदान करने के किसी प्रस्ताव को अस्वीकृत कर देगा, यदि यह पाया जाता है कि संविदा प्रदान करने के लिए संस्तुत बोलीदाता ने संविदा को प्राप्त करने के लिए छल एवं कपट का प्रयोग किया है।

ग. आरईसीपीडीसीएल संविदा प्रदान किए जाने वाली किसी फर्म को अनिश्चितकाल हेतु अथवा किसी निश्चित समयावधि के लिए अयोग्य घोषित कर देगा, यदि यह पाया जाता है कि इस बोली हेतु अथवा संविदा निष्पादन के लिए फर्म ने छल एवं कपट का प्रयोग किया है।

4.8 क्षतिपूर्ति खंड

क. आरईसीपीडीसीएल को आपूर्तित किए जा रहे सॉफ्टवेयर,उपकरण, डिजाइन आदि चोरी के न हो, से बचने के लिए फर्म को एक क्षतिपूर्ति बंध-पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे।

ख.	चयनित विक्रेता आरईसीपीडीसीएल को, आपूर्तित सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर/जनशक्ति इत्यादि तथा संबंधित सेवाएं अथवा उसके किसी अंश का उपयोग करने से उत्पन्न पेटेंट,ट्रेडमार्क/कॉपीराईट अथवा इंडस्ट्रियल डिजाइन के अतिलंघन होने पर किसी तृतीय पक्ष का दावा करने के संबंध में, क्षतिपूर्ति करेगा।

4.9 फोर्स मेजर खंड

यदि किसी समय, इस संविदा के चलते, संविदा के तहत बाध्य किसी भी पक्ष द्वारा पूर्ण निष्पादन अथवा उसके अंश में, किसी युद्ध, शत्रुता, दुश्मनों के कृत्य, नागरिक उथल पुथल ,तोड़-फोड़, आगजनी, बाढ़, विस्फोट, महामारी निरोधात्मक कार्रवाई, हड़तालों, तालाबंदी अथवा ईश्वरीय कृत्य (यहां इसके बाद इसे 'घटना' संदर्भित किया गया है। के कारणों से रोका गया है अथवा विलंबित हुआ है तो ऐसी घटना के होने पर संबंधित पार्टी देश के वाणिज्य मंडल/उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा विधिवत पृष्ठांकित सूचना को घटना होने तथा उसके समाप्त होने से 72 घंटों के अंतर्गत देना होगा तथा दूसरी पार्टी को उठाये गये कदम की वजह से संतुष्ट करेगा। ऐसी स्थिति मे, कोई भी पार्टी संविदा को समाप्त नहीं करेगी तथा अनिष्पादन अथवा निष्पादन में विलंब के लिए कोई दावा नहीं करेगी, तथा संविदा अंतर्गत सुपुर्दगियों को ऐसी घटना के बंद होने के उपरांत यथासाध्य शुरू किया जाएगा तथा इन को पुन: शुरू करना है अथवा नहीं एकमात्र अंतिम निर्णय क्रेता का होग। साथ ही, यदि किसी किसी घटना के कारण इस संविदा के तहत पूर्ण कार्य निष्पादन अथवा किसी अंश का अथवा अन्य किसी बाध्यता मे 15 दिनों की अवधि से अधिक विलंब हो जाता है अथवा उसे उक्त अवधि तक रोका जाता है तो, क्रेता अपने विवेक से संविदा को समाप्त कर देगा।

4.10 विविध

क.	प्रत्येक बोलीकर्ता का, उन सभी स्थानीय स्थितियों तथा घटकों, जो उनके कार्य तथा उसकी लागत को प्रभावित करेंगे, से परिचित होना लाजिमी होगा।

ख.	यद्यपि व्यक्तिगत प्रस्ताव को वाणिज्यिक भरोसे में रखा जाएगा, प्रस्तावों को एक समूह, जिसके निश्चित सदस्य जरूरी नहीं है कि आरईसीपीडीसीएल के अधिकारी हों, द्वारा मूल्यांकित किया जाएगा। माना जाएगा कि इस निविदा के प्रत्युत्तरकारी संभावित पूर्तिकार अपने प्रस्तावों को इस समूह द्वारा परीक्षित किए जाने के लिए सहमत हैं।

ग.	आरईसीपीडीसीएल एक सरकारी संगठन है तथा इसका उद्देश्य, संरचना तथा कार्य शैली एक वाणिज्यिक उद्यम से भिन्न हो सकती है। संभावी विक्रेताओं को आरईसीपीडीसीएल की स्थिति तथा माहौल से परिचित होना होगा, तथा वे विशेष रूप से नोट कर लें कि इस प्रोजेक्ट के लिए किसी सॉफ्टवेयर, उपकरण, उत्पाद तथा सामग्री से संबंधित अर्जित किए गए बौद्धिक संपत्ति अधिकारों को उपयुक्त रूप से प्रेक्षित किया जाएगा।

घ.	बोलीदाता को संविदा के निष्पादन के दौरान सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध घटको तथा तकनीकों को शामिल करना होगा।

च.	आरईसीपीडीसीएल के पास संविदागत कार्य को अलग-अलग समय/सोपान पर अथवा चरणबद्ध तरीके से कराने के लिए आबंटित करने का अधिकार सुरक्षित है।

छ.	निविदा में किन्हीं परिवर्तनों को विक्रेता द्वारा उपयुक्त रूप से साक्ष्यांकित किया जाए अन्यथा बोली अस्वीकृत हो जाएगी।

ज. विक्रेता द्वारा तैयार की गई बोलियों को तथा विक्रेता और आरईसीपीडीसीएल द्वारा प्रस्तुत बोलियों से संबंधित सभी पत्राचार तथा दस्तावेज अंग्रेजी भाषा मे लिखे होने चाहिए, विक्रेता द्वारा किसी अन्य भाषा में किसी मुद्रित सामग्री को भेजने के मामले में, उसका अंग्रेजी पाठ बोली की व्याख्या को समझने के लिए उपलब्ध कराना होगा तथा ऐसी स्थिति में अंग्रेजी अनुवाद प्रभावी होगा।

झ. सेवाओं के निष्पादन के लिए खर्च सभी करों, शुल्कों, चुंगी, लाइसेंस फीस इत्यादि के लिए पूर्ण रूप से विक्रेता उत्तरदायी होगा तथा संविदा प्रदान करने की अधिसूचना के उपरांत किसी कारण से शुल्क/कर इत्यादि की कोई कटौती होती है तो, उसे आरईसीपीडीसीएल को पास किया जाए।

ट. चयनित विक्रेता को संविदा के अंतर्गत बाध्यताओं का कार्यान्वयन तथा सेवाओं का निष्पादन, उद्योग में प्रयुक्त अभ्यासों तथा सामान्य स्वीकृत तकनीकों के अनुसार तथा राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय व्यवसायिक निकायों द्वारा मान्य व्यावसायिक इंजीनियरिंग तथा प्रशिक्षण/परामर्श मानकों के साथ अध्यवसाय तथा कुशलता से करना होगा तथा श्रेष्ठ प्रबंधन, तकनीकी एवं इंजीनियरिंग व्यवहारों का अनुपालन करना होगा। उसे उपयुक्त अत्याधुनिक तकनीक तथा सुरक्षित एवं प्रभावकारी उपकरणों, मशीनरी, सामग्री तथा पद्धतियों को नियोजित करना होगा। विक्रेता को इस संविदा से संबंधित किसी मामले में सदैव आरईसीपीडीसीएल के प्रति एक विश्वासपात्र सलाहकार के रूप में कार्य करना होगा तथा सदैव तृतीय पक्ष के साथ किसी व्यवहार में आरईसीपीडीसीएल के न्यायसंगत हितों को सुरक्षित एवं समर्थित करना होगा।

ठ. आरईसीपीडीसीएल को अधिकार है कि वह कार्य शुरू होने से पूर्व अथवा कार्य के दौरान विक्रेता के कार्य निष्पादन का निरीक्षण कर सकता है। निरीक्षण में समनुदेशित क्रय आदेश, विशेषकर कार्यप्रणाली, जनशक्ति, अवसंरचना इत्यादि शामिल है। आरईसीपीडीसीएल के पास, किसी भी समय विक्रेता को समनुदेशित क्रय आदेश, जिसमें बिना कारण बताए समनुदेशित कार्य की समाप्ति उपरांत समयावधि को शामिल किया गया है, को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है। क्रयादेश के रद्द होने की स्थिति में, जोखिम और खर्च विक्रेता द्वारा वहन किया जाएगा तथा किसी भी परिस्थिति में विक्रेता आरईसीपीडीसीएल से किसी क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।

ड. चयनित विक्रेता, आरईसीपीडीसीएल की पूर्व लिखित अनुमति के बिना, संविदा, अथवा इसके किसी उपबंध, अथवा किसी विनिर्देशन, योजना, सॉफ्टवेयर कोड, इस संबंध में आरईसीपीडीसीएल द्वारा/की ओर से अग्रेषित सूचना के नमूने का, संविदा निष्पादन के लिए विक्रेता द्वारा नियोजित कर्मचारी को छोड़कर, किसी के समक्ष प्रकट नहीं करेगा। किसी नियोजित कर्मचारी को भरोसे में रखकर किया गया ऐसा प्रकटीकरण अनिवार्यतः केवल ऐसे कार्य निष्पादन के उद्देश्यों के लिए होना चाहिए।

ढ. यदि चयनित विक्रेता संविदा अंतर्गत अपनी बाध्यताओं, जिसमें कार्य को पूर्ण न करना शामिल है, को पूर्ण करने में असमर्थ होता है तो, आरईसीपीडीसीएल के अधिकार है कि वह शेष कार्य को किसी अन्य विक्रेता के द्वारा संपन्न कराये तथा विक्रेता की जमा बयाना राशि/प्रतिभूति जमा को जब्त कर लिया जाए। साथ ही, के परिणामस्वरूप हुए खर्चों, क्षति इत्यादि की पूर्ति को चयनित विक्रेता द्वारा वहन किया जाएगा।

ण. बोलीदाताओं के मुद्रित निबंधन एवं शर्तों के उनकी बोली के रूप में नहीं माना जाएगा। बोली आमंत्रण के लिए संविदा की लागू शर्तों के किसी बोलीदाता के स्वीकार्य न होने की स्थिति में, उसे अपनी बोली में इस विचलन को स्पष्ट रूप से इंगित करना होगा।

त. चयनित विक्रेता, आरईसीपीडीसीएल द्वारा जारी क्रय आदेशों के निष्पादन में निष्पक्ष कार्य व्यवहार के सभी पहलुओं के सम्मान देने के लिए आरईसीपीडीसीएल के साथ स्वत: सहमत रहेगा।

थ. यदि किसी उत्पाद का नाम, उसी सारभूत विवरण के साथ, बदल दिया गया है तो मूल उत्पाद के संबंध में सहमत सभी तकनीकी वित्तीय हितों को आरईसीपीडीसीएल को पास कर दिया जाएगा तथा विक्रेता की पुराने उत्पाद के नाम से ली गई सभी बाध्यताओं को नये नाम वाले उत्पाद के लिए पारित कर दिया जाएगा।

द. आरईसीपीडीसीएल तथा/अथवा उसकी मूल तथा/अथवा संबद्ध तथा/अथवा संबद्ध संस्थाओं इत्यादि को, क्रय आदेश करने/प्रापण करने इत्यादि के लिए इस निविदा को अपने विवेक से प्रयोग में लाने का अधिकार सुरक्षित है।

संलग्नक

<u>संलग्नक - क</u>

बोली प्रपत्र

(बोली दस्तावेज प्रस्तुत कर रही फर्म के पत्रशीर्ष पर)

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड,

कोर 4, स्कोप कांपलेक्स,

लोदी रोड़,

नई दिल्ली-110003

संदर्भ: बोली दस्तावेज सं0 दिनांक....................

महोदय,

1. बोली दस्तावेजों की जांच करने तथा उनके लिए बोली प्रस्तुत करने के उपरांत, मैं/हम, अधोहस्ताक्षरी, मांग अनुसूची के अनुसार तथा उक्त बोली दस्तावेजों के अनुरूप, एतद्द्वारा उपकरणों, उत्पादों की आपूर्ति, संस्थापन, कमीशनिंग की एक वर्षीय ऑन साईट विस्तृत वारंटी के साथ रख रखाव तथा सेवाओं के लिए वित्तीय बोली प्रस्तुत करता हूं/करते हैं।

2. मैं/हम वचन देते हैं कि यदि मेरी/हमारी बोली स्वीकृत हो जाती है तो, मैं/हम बोली दस्तावेज में निर्दिष्ट सुपुर्दगी अनुसूची के अनुसार प्रस्तावित सेवाएं प्रस्तुत करूंगा/करेंगे।

3. मैं/हम, बोली खुलने के लिए निर्धारित तारीख के उपरांत नब्बे दिनों की अवधि के लिए इस बोली के निष्ठा बनाये रखने के लिए सहमत हूं तथा यह हम पर बाध्यकारी रहेगी तथा इस अवधि की समाप्ति से पूर्व किसी भी समय स्वीकृत की जाएगी तथा उस समय तक मैं/हम, वैधता अवधि के समाप्त होने के उपरांत निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट अनुसार, संबद्ध निबंधन एवं शर्तों तथा न्यूनतम नोटिस अवधि के साथ, मेरी/हमारी बोली को औपचारिक रूप से लिखित में वापस ले लूंगा/लेंगे तथा ऐसे सभी मामलों में मेरी/हमारी बोली वैध समझी जाएगी।

4. मैं/हम घोषणा करते हैं:

क) मैं/हम वित्तीय बोली में उल्लिखित मूल्यों तथा दरों पर सेवाएं देने का प्रस्ताव करता हूं/करते हैं।

ख) मैंने/हमने बोली दस्तावेज की शर्तों एवं निबंधन तथा बोली दस्तावेज के लिए लागू संविदा की शर्तों को ध्यान से पढ़ और समझ तथा मान लिया है तथा हम एतद्द्वारा इन निबंधन एवं शर्तों के अनुसार आपूर्ति, कमीशन करने तथा रखरखाव की एक वर्षीय ऑन-साईट वारंटी उपलब्ध कराने का वचन देते हैं।

5. प्रमाणित किया जाता है कि बोलीदाता:

एक अनन्य स्वामित्व फर्म है तथा बोली दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति एकमात्र मालिक है। उसके अनन्य स्वामित्व के लिए अटोर्नी गठित की गई है,

अथवा

एक भागीदारी फर्म है, तथा बोली दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति फर्म का पार्टनर है तथा उसे भागीदारी अनुबंध/जनरल पॉवर ऑफ अटोर्नी की हैसियत से भागीदारी के व्यवसाय से संबंधित माध्यस्थम् विवादों को विचारार्थ भेजने का प्राधिकार है।

अथवा

एक कंपनी है तथा दस्तावेज पर हस्ताक्षरकर्ता व्यक्ति को अटोर्नी के अधिकार प्राप्त है।

(टिप्पणी: जो लागू न हो उसे काट दें। सभी शोधनों/लोपों को अपरिवर्तनीय रूप से बोली दस्तावेज पर हस्ताक्षर के लिए प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा विधिवत रूप से साक्ष्यांकित किया जाए)।

6. हम एतद्द्वारा वचन देते हैं कि जब तक औपचारिक कार्य का आदेश तैयार तथा निष्पादित नहीं होता तब तक, यह बोली, आपके लिखित स्वीकृति तथा नियोजन के आशय पत्र तथा/अथवा प्रदान करने के साथ-साथ हमारे बीच में एक बाध्यकारी संविदा को गठित करेगी।

आज, दिनांक............2010 बोलीदाता के हस्ताक्षर

नाम

संलग्नकों के विवरण - पूरा पता:..........................

....

दूरभाष सं0.........................

टेलिग्राफिक पता...................

फैक्स नं0..........................

ई-मेल

कंपनी की मोहर

<u>संलग्नक-ख</u>
वित्तीय बोली

मूल्य अनुसूची

(बोली दस्तावेज प्रस्तुत कर रही फर्म के पत्रशीर्ष पर)

क्रम सं**0**	वस्तु का विवरण	विवरण/ब्रांड	अनुपालित **(हाँ/नहीं)** बनावट एवं मॉडल का उल्लेख करें	यूनिट	मात्रा **(क)**	सर्व समाविष्ट यूनिट की दर भारतीय रपयो में **(ख)**	योग भारतीय रपयों में **(ग)** गएक**X**ख
1	सर्वर	एक्सियोन ई3110, डुअल कोर 3.0जीएचजैड, 6एमबी एल2 कैश, 1333 एमएचजैड एफएसबी,2जीबी रैम, 250जीबी सैटा हार्डडिस्क, 8एक्स डीवीडी रोम, डुअल निक (10/100/1000),		प्रति सर्वर	2		

		4यूएसबी एवं 1 सिरियल पोर्ट, 17 इंच टीएफटी मॉनीटर ऑप्टीकल माऊस और 101 कुंजी वाले की-बोर्ड के साथ					
2	यूपीएस	15 मिनट के बैटरी बैकअप के साथ ऑनलाईन 3केवीए					
3	रूटर	2 एक्स वी.35 सिरियल/वैन पोर्टस्, 2 एक्स 10/100 एमबीपीएस एथर्नेट पोर्ट सभी आवश्यक केबलों,अनुषंगियों और सिसको 1841 अथवा उससे उच्च के साथ		प्रति रूटर	1		
4	स्विच	एल2 मैनेज्ड के साथ 24x10/100 एमबीपीएस पोर्ट (स्वत: प्रबंधन) + 2 10/100/1000 एमबीपीएस अपलिंक पोर्ट सभी आवश्यक केबलों,अनुषंगियों और सिसको 296024टीटीएल अथवा उससे उच्च के साथ		प्रति स्विच	3		
5	रैक	15 यू, प्रंट ग्लास डोर (लॉकेबल) 1 सं. कूलिंग फैन हाऊसिंग यूनिट 230 वोल्टेज एसी 90 सीएफएम के 2 पंखों सहित, 5 एंपीयर्स के न्यूनतम 8 सॉकेटों के साथ 1 उर्ध्वाधर पॉवर प्रबंधक, 1 अर्थिंग किट, उपकरण को टांगने के फास्टेनर्स का पैकेट विशेषकर एचसीएल/एपीडब्लू/रिट्टल		प्रति रैक	1		
6	पैच पैनल	24 पोर्ट, यूएल लिस्टेड		प्रति पैच पैनल	3		
7	वायर मैनेजर/ पैच कॉर्ड माइंडर पैनल	विशेषत:आईएसआई छाप वाले		प्रति वायर मैनेजर	3		
8	पैच कॉर्ड	3 फुट		प्रति कॉर्ड	72		
9	पैच कॉर्ड	7 फुट		प्रति कॉर्ड	72		
10	इनफॉरमेशन आउटलेट	सीएटी 6		प्रति सूचना आऊटलेट	72		
11	गैंग बॉक्स	आईएसआई छाप वाले		प्रति गैंग बॉक्स	72		
12	फेस प्लेट	एएमपी/यूएल लिस्टेड			72		
13	इंगित आकार के पीवीसी आईएसआई मार्क्ड फ्लेक्सोडक्ट की आपूर्ति	15x15 एमएम		प्रति मीटर	20		
		30x25 एमएम		प्रति मीटर	20		

	और फिक्स करना	45x25 एमएम		प्रति मीटर	20		
14	यूटीपी केबल	सीएटी 6 (चार जोड़े) एएमपी/यूएल लिस्टेड		प्रति मीटर	1600		
15	केबल बिछाने का शुल्क	सीएटी6 केबल का बिछाना		प्रति मीटर	1600		
16	रैक संस्थापन हेतु शुल्क	रैक का संस्थापन		प्रति रैक	1		
17	कनेक्टरों की आपूर्ति तथा क्रिम्पिंग/पंचिंग	आरजे45		प्रति कनेक्टर	144		
18	पैच पैनल टर्मिनेशन हेतु शुल्क	पैच पैनल पर यूटीपी केबलों का संस्थापन और टर्मिनेशन		प्रति कनेक्टर	72		
19	आई/ओ टर्मिनेशन हेतु शुल्क	सूचना आऊ टलेट पर यूटीपी केबलों का संस्थापन और टर्मिनेशन		प्रति कनेक्टर	72		
20	साईट प्रमाणीकरण	लेड यूटीपी केबल का निष्पादन परीक्षण (पेंटास्केनर रिपोर्ट) तथा न्यूनतम 5 वर्षों का साईट प्रमाणीकरण		प्रति नोड	72		
21		**समग्र योग (भारतीय रपयों में)**					

<u>टिप्पणी:</u>

1. सभी वस्तुओं का कोटेशन दिया जाए।
2. मूल्यों को केवल भारतीय रपयों में इंगित किया जाए।
3. मूल्यों में सेवा-कर, शुल्क, प्रभार इत्यादि सहित सभी करों को शामिल किया जाए।
4. मूल्यों में सभी सेवाओं, रखरखाव की एक वर्षीय ऑन-साईट व्यापक वारंटी, अनुषंगियों, कमीशनिंग इत्यादि सहित सभी खर्चे शामिल होने चाहिए ।
5. न्यूनतम बोलीदाता (एल क्यू1) **क्रम संख्या 21 समग्र योग अर्थात उपरोक्त मूल्य अनुसूची सारणी के कॉलम (ग)** के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।
6. किसी कांट-छांट, विलोपनों आदि को बोलीदाता के हस्ताक्षर और कंपनी की मोहर द्वारा साक्ष्यांकित किया जाए अन्यथा बोली को एकदम अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
7. मूल्यों को अंकों तथा शब्दों में, दोनों में, इंगित किया जाए।
8. भुगतान आरईसीपीडीसीएल के अधिकृत अधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित करने के उपरांत निष्पादित वास्तविक कार्य के लिए यथानुपात के आधार पर किया जाएगा।